

अनवान

शंकर लाल पिल रामलाल हजरी वगैरे

निवासी ब्राह्मण लो बेई प्रार्थी / प्रार्थीगण
बनाम

राधा किरण नन्द राम हजरी वगैरे

निवासी ब्राह्मण लो बेई विपक्षी / विपक्षीगण

:: आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत बाबत पत्थरगढी करने::

न्यायालय में अधिवक्ता श्री संजय शर्मा के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसके बाद जाँच दर्ज किया जाकर प्रकरण में जाँच किये जाने पर पाया कि प्रार्थी/प्रार्थीगण वर्णित आराजीयात का खातेदार है तथा प्रार्थी द्वारा उनके खातेदारी की कृषि आराजी मौजा 31291 पटवार हल्का शिवोयपुर की आराजी संख्या 56, 65, 70, 11.2/52, 11.3/16 कुल कीता-5 कुल रकबा 1.4520 कृषि भूमि की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किये जाने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया गया है। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की छायाप्रति इस आदेश के साथ संलग्न की जाकर आपको आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि आराजी मौजा 31291 पटवार हल्का शिवोयपुर की आराजी संख्या 56, 65, 70 कुल कीता-65 कुल रकबा 1.4520 भूमि की पत्थरगढी हेतु सूचना पत्र जारी कर प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण की उपस्थिती में प्रार्थीगण से पत्थरगढी शुल्क की राशि 2000/- प्राप्त करते हुए मौके की पत्थरगढी की जावें।

संलग्न :- प्रार्थना पत्र कीता 3

क्रमांक / सरिश्ता / 2025 / 296

प्रार्थना पत्र संख्या 76/25 व अनवान शंकर लाल हजरी वगैरे प्रार्थना पत्र अ0धा0 128 एल.आर.एक्ट में न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की प्रति आपको वारते पालनार्थ दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी, बेगू जिला चित्तौडगढ़(राज.)

दिनांक :- 14.5.25

उपखण्ड अधिकारी, बेगू जिला चित्तौडगढ़(राज.)